राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1018/2015/टोंक.

मैसर्स विजय ट्रेडर्स, कृषि मण्डी, टोंक. .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–टोंक. .....प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या – 1019/2015/टोंक.

मैसर्स अंजल एन्टरप्राईजेज, सुभाष बाजार, टोंक. .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–टोंक. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री ओ. पी. दोसाया, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा, उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 18/06/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा उक्त दोनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 83 व 101/13–14/वैट/टोंक में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 16.03.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–टोंक (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा व्यवहारीगण की आलौच्य अवधि वर्ष 2011–12 के लिये वैट अधिनियम की धारा 23 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक क्रमशः 18.12.2013 व 19.12.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किया जाकर वैट नियम 19ए के तहत आरोपित विलम्ब शुल्क क्रमशः रूपये 50,000/– व रूपये 44,968/– की पुष्टि की है।

2. इन दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु समान निहित होने से दोनों प्रकरणों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वर्ष 2011–12 के लिये पारित कर निर्धारण आदेशों में विवरण प्रपत्र की हार्डकॉपी विलम्ब से पेश होने के आधार पर नियम 19ए के तहत विलम्ब शुल्क आरोपित किया गया था, जिसकी अपीलीय अधिकारी द्वारा भी पुष्टि की गयी है।

लगातार.....2

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि दोनों ही व्यवसायियों द्वारा विवरण–प्रपत्र समयावधि में ओनलाईन पेश कर दिये गये थे एवं केवल प्रथम तिमाही की हार्डकॉपी देरी से प्रस्तुत की गयी, परन्तु विवरण–प्रपत्र विभाग में समय पर प्रस्तुत कर दिये थे, अतः विलम्ब शुल्क का आरोपण अविधिक है। इसके अलावा यह भी कथन किया कि दिनांक 06.11.2013 को नियम 19ए के अनुसार विलम्ब शुल्क प्रति दिन रूपये 100/– अथवा अधिकतम रूपये 25,000/– ही आरोपणीय था, जबकि दोनों ही मामलों में अधिक विलम्ब शुल्क आरोपित किया गया है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने विलम्ब शुल्क का आरोपण विधिक बताया परन्तु इस बिन्दु पर सहमति दी कि दिनांक 01.04.2013 से 14.07.2014 के बीच नियम 19ए के प्रावधान में रूपये 100/– प्रतिदिन एवं अधिकतम रूपये 25,000/– का विलम्ब शुल्क ही आरोपणीय था।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

7. प्रथमतया अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत यह तर्क कि हार्डकॉपी विलम्ब से प्रस्तुत करने पर विलम्ब शुल्क देय नहीं है, क्योंकि ओनलाईन रिटर्न समय पर पेश कर दिये थे, स्वीकार योग्य नहीं है। कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा **अपील संख्या 2109/2014/बाड़मेर में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2017** एवं इस बिन्दु पर विधिक अभिनिर्धारण के लिये गठित **वृहदपीठ का अपील संख्या 1063/2015/टोंक व अन्य अपीलों में पारित निर्णय दिनांक 07.03.2018** में यह निर्णय किया जा चुका है कि ऐसे मामलों में विलम्ब शुल्क देय होगा।

8. अपीलार्थी का दूसरा बिन्दु उचित है कि हार्डकॉपी प्रस्तुत करने के दिवस अर्थात् दिनांक 06.11.2013 को नियम 19(ए)1)(i) के तहत विलम्ब शुल्क (01.04.2013 से 14.07.2014 के बीच) रूपये 100/– प्रतिदिन अथवा रूपये 25,000/– अधिकतम की सीमा तक देय था। अतः उक्त दोनों प्रकरणों में 175 दिवस की देरी के लिये प्रत्येक में रूपये 17,500/– का विलम्ब शुल्क देय होने से इस सीमा तक आरोपित विलम्ब शुल्क की पुष्टि की जाती है एवं अवशेष राशि अपास्त की जाती है। यदि राशि जमा कराई जा चुकी है तो उसका रिफण्ड जारी किया जावे।

9. उपरोक्तानुसार अपीलार्थी व्यवहारीगण की दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं।

10. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य